



गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर

जी.बी.यू.-002/प्रशा./2.3/2021-37/

दिनांक:- 13/02/2021

:: नोटिस ::

जैसा कि सर्वज्ञात है कि (Covid-19) महामारी के चलते पिछले मार्च, 2020 से विश्वविद्यालय की भौतिक गतिविधियाँ बंद कर दी गयी थी। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस महामारी का प्रकोप कम हो रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन, छात्र/छात्राओं एवं अभिभावकगणों का यह मानना है कि विश्वविद्यालय अब भौतिक रूप से चलाया जा सकता है। इस क्रम में विश्वविद्यालय प्रशासन ने भौतिक रूप से पढ़न-पाठन कराने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय में भौतिक पढ़न-पाठन चरणबद्ध तरीके से प्रारम्भ करने की योजना का स्वरूप निम्नलिखित है-

क.स.	प्रारम्भ करने की तिथि	पाठ्यक्रम के अनुसार
1	15/02/2021	समस्त शोधार्थी छात्रगण।
2	01/03/2021	• जिनके वर्तमान सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में Dissertation/Project Work शामिल है। • वे समस्त छात्र जो कि अपने पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष में हैं।
3	09/03/2021	क्रम सं. 1 व 02 के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2019-20 तक पंजीकृत हुए समस्त छात्रगण। (केवल पूर्व से अध्ययनरत् छात्रों के लिए)
4	16.03.2021	सत्र 2020-21 में पंजीकृत समस्त नवप्रवेशित छात्रगण।

1. समस्त छात्रों को यह भी सूचित किया जाता है कि पूर्व की भौतिक छात्रावास सेवार्यें भी इन्ही तिथियों (Dates) से शुरू होगी।
2. छात्रावास एवं मेस शुल्क की सूचना वित्त विभाग द्वारा शीघ्र ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।
3. भौतिक कक्षाएँ प्रारम्भ करने के लिए प्रशासन व यू.जी.सी. के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
4. भौतिक पढ़न-पाठन प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त छात्रगण यह सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा विश्वविद्यालय का कोई शुल्क (शैक्षणिक शुल्क, छात्रावास शुल्क, मेस शुल्क) देय तो नहीं है। इस आशय का अदेयता प्रमाण पत्र भी वित्त विभाग से अवश्य प्राप्त कर लें।
5. सभी छात्रों को भौतिक कक्षाएँ करने से पहले विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों/नियमों का पालन करना होगा व इस सम्बन्ध में अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षरित वचन-पत्र (Undertaking) भी जमा करना होगा।

(डॉ० विश्वास त्रिपाठी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

- मा० कुलपति महोदय के स्टाफ को महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
- समस्त अधिष्ठाता/प्रभारी अधिष्ठातागण को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्रभारी छात्र-कल्याण को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- मुख्य छात्रावास अभिरक्षक(पुरुष/महिला) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
- प्रभारी निदेशक, कार्य को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- सिस्टम मैनेजर को इस आशय से कि विश्वविद्यालय के समस्त संकाय सदस्यों/शिक्षणेत्तर अधिकारियों/कर्मचारियों एवं समस्त छात्र-छात्राओं को उचित माध्यम से सूचित किये जाने के साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित पत्रावली।

(Handwritten signature)

COVID-19 UNDERTAKING **FOR STUDENTS/SCHOLARS**

1. I do not have any symptoms of COVID-19 and neither have I come in close contact with any COVID patient recently.
2. I will keep myself up-to-date, and comply with current Public Health Advice regarding COVID-19 issued by the University/Central Govt. /State Govt. from time to time.
3. I am visiting the University on my own and my parents/legal guardians are fully aware about my decision and gave consent to visit the campus during COVID-19 period.
4. I will compulsorily wear a mask throughout my stay in the University campus.
5. I will have no objection in going through thermal scanning, and other procedures/measures required for COVID safety.
6. Keeping in mind prevailing COVID-19 scenario, I will directly go to my workplace/laboratory and shall not visit any other places/departments etc.
7. I fully understand that medical expenses accruing as a consequence of my falling ill will be borne by me.
8. I will not present myself in the University if I have symptoms of COVID-19 or acute infections such as symptoms of viral respiratory tract infection or gastroenteritis.
9. In the event that I develop COVID-19 or other communicable infectious disease. I will immediately notify the university authorities through my Wardens/Supervisor/HoD/Dean.
10. In case of my being tested positive, I will have no objection if this information to be made public for reasons of precaution and avoidance to other university students, teachers and employees.
11. I am aware that if I am declared as a 'close-contact' of someone with COVID-19 (as communicated by contact tracing services or other authorities) that I shall not be physically present in the University and will avoid public places for 14 days after the last day of close contact with the COVID-19 case.
12. I will cooperate with requirements for management of outbreaks or other incidents of infection, including providing samples for testing where required.
13. I have downloaded the 'arogya-setu' app and have registered myself in it. I will keep 'arogya-setu' continuously activated, updated, and check my health status on regular basis. I will readily offer to show my 'arogya-setu' status to the University Security/Other Authorities.

Signature of Student:

Date-----

Place-----

Name and Roll No. of Student:

Name & Signature of Parents

Forwarded by Dean

:: छात्र-छात्राओं को छात्रावास कक्ष आवंटन हेतु दिशा-निर्देश ::

1. विशेष परिस्थितियों में छात्र-छात्राओं को पढ़न-पाठन के कार्य में निरन्तरता बनाये रखने के लिए छात्रावास कक्ष आवंटित किये जा रहे हैं।
2. प्रशासन एवं सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा- निर्देशों का अनुपालन विन्या जाना अनिवार्य है। (जैसे:- उचित सामाजिक दूरी, मारक इत्यादि)।
3. छात्र-छात्राओं को छात्रावास कक्ष आवंटन हेतु अपने साथ 48 से 72 घण्टे पूर्व की कोविड-19 से सम्बन्धित रिपोर्ट (RT-PCR) लानी आवश्यक है।
4. छात्रावास आवंटन कराने से पूर्व विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
5. छात्रावास आवंटन से पूर्व छात्र-छात्राओं को छात्रावास आवंटन हेतु वर्तमान सेगेक्टर का अग्रिम छात्रावास शुल्क जमा करना एवं उसकी छायाप्रति छात्रावास कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
6. जिन छात्र-छात्राओं को पूर्व से छात्रावास कक्ष आवंटित है उन छात्र-छात्राओं को पूर्व से आवंटित कक्ष का नो-इयूज/अदेयता प्रमाण पत्र जमा कराने के उपरान्त ही नया छात्रावास कक्ष आवंटन किया जायेगा।
7. किसी भी छात्र-छात्राओं द्वारा अपने छात्रावास कक्ष में अपने साथ अभिभावक, अतिथि, आगंतुक, एवं सगे-सम्बन्धी अथवा अन्य छात्र-छात्राओं को ठहराना पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
8. छात्र-छात्राओं द्वारा छात्रावास में प्रतिदिन छात्रावास उपस्थिति-पंजिका में हस्ताक्षर दर्ज करना अनिवार्य है।
9. छात्र-छात्राओं द्वारा छात्रावास में विद्युत उपकरणों जैसे- हीटर, कैटल, इन्हेक्शन इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
10. छात्र-छात्राओं द्वारा छात्रावास में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता के कृत्यों में संलिप्त पाये जाने पर उक्त छात्र-छात्राओं का छात्रावास कक्ष आवंटन निरस्त/रद्द कर दिया जायेगा।